अनुसूची 14 फारम सं0 502।

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

भिखन करमाली
vs
हीरामन करमाली एवं अन्य

आदेश पत्रक ता0– **11.12.2024** से तक

जिला– बोकारो केश सं0– **27/2024–25**

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11/12/2024	आवेदक– भिखन करमाली, पिता–स्वर्गीय मोहन करमाली, सा0– बड़की सिधावारा, पो0+थाना– चतरोचट्टी, जिला–बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– बड़की सिधावारा अंतर्गत खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 593, रकवा– 0.24 एकड़ भूमि उनके बैजनाथ करमाली, जगरनाथ करमाली, भीखन करमाली तीनों पिता–स्व0 मोहन करमाली का रैयती भूमि है। उपरोक्त तीनों भाई आपस में बंटवारा कर अपने दखल–कब्जा वाली जमीन पर घर मकान बनाकर रह रहे है। मकान बनाने के बाद रकवा–2.25 डी0 भूमि परती छोड़ा गया था जिसमें इनके घर का पानी बहता है और उसमें जोत कोड़कर साग सब्जी का उपज करते थे। विगत दिनों से 1. हीरामन करमाली, पिता–स्व0 किटु करमाली, 2. परमेश्वर करमाली, पिता–स्व0 तुलवा करमाली, 3. भुनेश्वर करमाली, पिता–स्व0 तुलवा करमाली, 4. रामचन्द करमाली, पिता–लिलवा करमाली, 5. रेखा देवी, पति–लुरका करमाली, 6. काजल कुमारी, पिता–किटु करमाली सभी सा0– बड़की सिधावारा, पो0+थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो के द्वारा इनके हिस्से की परती जमीन रकवा–2.25 डी0 पर जबरन कब्जा करने लगे है। इनके द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत भूमि का जबरन कब्जा को रोकने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक–27/12/2024 को रखें। 11-12-24 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1021 15/12/24 Notice

27/12/24	उभय पक्ष को नोटिस तामिल किया गया। दोनो पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने प्रश्नगत भूमि के संबंध में बताया गया कि मौजा बड़की सीधवारा खाता सं०- 01, प्लाट सं०-593 रकबा- 24डी० भूमि जानकी महतो एवं अन्य से वर्ष 1986 में केवाला सं०- 4508 के द्वारा प्राप्त किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा एक राजस्व दस्तावेज सं०- 1813 दाखिल किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा बड़की सीधवारा खाता सं०- 01 प्लॉट सं०- 593 कुल रकबा - 73डी० मध्ये 12डी० भूमि का क्रेता उगनी देवी पति तुलो करमाली है। प्रथम पक्ष के द्वारा उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त कोई अन्य राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करते है कि मौजा बड़की सीधवारा खाता सं०- 01 प्लॉट सं०- 593 कुल रकबा- 10डी० दिनांक - 28/06/1986 को जानकी महतो वगै० द्वारा तीन केवाला के माध्यम से

...या और ...	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	भूमि बिक्रय किया गया। जिसमे प्रथम केवाला 4506 मुरती देवी के पक्ष में 73डी० भूमि, द्वितीय केवाला 4507 तुलसी महतो के पक्ष में 04डी० भूमि और तीसरा केवाला 4508 जीवन कमोली वगै० के पक्ष में 24डी० बिक्री कर दिया गया। तत्पश्चात 14/04/88 को मुरती देवी ने 12डी० भूमि उर्मी देवी के पक्ष में बिक्रय कर दिया गया। उभय पक्ष के दलीलो को विस्तृत रूप से सुना गया। इस वाद में उभय पक्षकारो को प्राप्त केवाला के अनुसार चौहद्दी से मापी आवश्यक प्रतीत होता है। अंचल अमीन भूमि की मापी करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे 15 Jan 2025 तक उपलब्ध करायेंगे। अभिलेख दिनांक- 20/01/2025 को रखे। अंचल अधिकारी	1128 28/01/25 to Amin

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
20/01/2025	अंचल अमीन से भू-मापी प्रतिवेदन अप्राप्त है। आवेदक अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। पीठासीन पदाधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। To 14/02/2025 20.1.25 अंचल अधि०
14/02/2025 15/02/2025	अभिलेख उपस्थापित। सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। अभिलेख दिनांक- 05/03/2025 को रखें। 15/2/25 अंचल अधिकारी
05/03/2025	उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक- 26/03/2025 को रखें। 5.3.25 अंचल अधिकारी
26/03/2025	उभय पक्ष अनुपस्थित। Put up on 25/04/2025 26/3/25 अंचल अधिकारी

आदेश पर... के बारे में ... तारीख ... साथ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
5/04/25	उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक-19/05/25 को रखें। 25/4/25 अंचल अधिकारी	
19/05/2025	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। दोनों पक्ष पिछले तीन तिथियों से लगातार सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें इस वाद को आगे बढ़ाने में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः रुचि के अभाव में इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 19.5.25 अंचल अधिकारी गोगरी। 19.5.25 अंचल अधिकारी गोगरी।	

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.05.23 16:28:49 +05:30
Location: 192.168.33.139